

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामनाथ पिता श्रीकिशन मीणा निवासी लुहारीकला

बनाम

लाखा भागुता पिता मीणा निवासी लुहारीकला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 94/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
08-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4901/5 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4901/5 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक 08/04/2024

दिनांक 08/04/2024

सेवा

जहाजपुरा जहाजपुरा

विषय - मसं सं. ०२०२४ अग्रवाल समवाय पिला श्रीविश्व नोया निवासी कुहरोकला कला लाल बामन पिला नोया निवासी कुहरोकला, जाल सिंह पिला बंधी नोया निवासी कुहरोकला, कर्मन पिलो मोहनलाल नोया निवासी कुहरोकला, राजेंद्र सिंह पिला मोहनलाल नोया निवासी कुहरोकला, कलाक किशोर पिला मोहनलाल नोया निवासी कुहरोकला, विगत सुभन पिला मोहनलाल नोया निवासी कुहरोकला, गोविंद सिंह पिला मोहनलाल नोया निवासी कुहरोकला, कलाक किशोर पिला मोहनलाल नोया निवासी कुहरोकला, मन सिंह पिला अमृता नोया निवासी कुहरोकला, नारायण सिंह पिला बामन नोया निवासी कुहरोकला, जितेंद्र सिंह पिला लाल सिंह नोया निवासी कुहरोकला, नरानी देवी पिलो लाल सिंह नोया निवासी कुहरोकला की पत्थरगढी की मजदूरी करने के लिए ।

उपरोक्त विषयवस्तु अग्रवाल समवाय ने ग्राम कुहरोकला, प.ह. कुहरोकला भारत की सं. 449/1/5 कुल भिन्ना 01 समवा 0.1619 हेक्टर भूमि की उपखण्डों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु ३० अतिरिक्त निर्माणा कुहरोकला को कमीशन नियुक्त किया जाता है। कमीशन फीस 500 रुपये लग किए जाते हैं जो प्रार्थी नौके पर अदा करेगा, इसी सं 110 समवा राजकोष में उभा कराते । पत्थरगढी के दौरान किसी भी तरह के अड्डे का अनादित नहीं किया जाते। तदनुसार जहाजपुरा की प्रतिवादीगणों को ज्ञात जातिव । समस्त अग्रवाल समवाय की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं ।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुरा जिला शाहपुरा